



उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

शुक्रवार चैत्र 1, शक संवत्, 1923
(दिनांक : 22 मार्च, 2002)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्न {अन्य प्रश्न नत्थी—(क), तारांकित प्रश्न नत्थी—(ख)}
2. मुख्य मंत्री देव संस्कृति विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2002 को सदन के पटल पर रखेंगे।
3. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरुद्धीकरण व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
4. विशेषाधिकार के प्रश्न, यदि कोई हों।
5. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
6. उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम-315 के खण्ड (23) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणाएँ, यदि कोई हों।
(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी—ग)
7. कार्यस्थगन का प्रस्ताव यदि कोई हो।
8. मुख्य मंत्री देव संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
9. मुख्य मंत्री देव संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करेंगे।

10. मुख्य मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।
11. मुख्य मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 पारित किया जाय।
12. श्री दिनेश अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान :-
“यह सदन श्री राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2002 को दिये गए अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।”
(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिए नत्थी (घ))

(अपराह्न 4 : 00 बजे)

13. निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतिकरण :-

प्रस्तावक का नाम	संकल्प
1. श्री बिशन सिंह चुफाल श्री प्रकाश पंत श्री मातबर सिंह कण्डारी श्री सुरेश चन्द श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत	“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायको को विधायक निधि के रूप में मिलने वाली विवेकाधीन विकास निधि को 75 लाख से बढ़ा कर 1 करोड़ कर दिया जाय।”
2. श्री मदन कौशिक	“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि हरिद्वार में अर्ध कुम्भ, 2004 में अस्थाई निर्माण के स्थान पर स्थायी कार्य कराये जायें।”
3. श्री मातबर सिंह कण्डारी	“इस सदन का सुविचारित मत है कि उत्तरांचल राज्य के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के लिये उद्योगों का जाल बिछाये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायें।”
4. श्री प्रकाश पंत	“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में पंचायतों, नगर पालिकाओं तथा महानगर क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिये संविधान के अनुच्छेद 40 तथा संविधान के 73वें व 74वें संशोधन के अनुरूप अनुच्छेद 243 (क) से 243 य च के प्रावधानों के अनुसार विधि इसी सत्र में बना ली जाय।”

5. श्री काशी सिंह ऐरी
श्री बलबीर सिंह नेगी
श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
श्री नारायण सिंह जंतवाल
श्री प्रीतम सिंह पंवार

“यह सदन संकल्प व्यक्त करता है कि सबके लिए शिक्षा योजना की भाँति प्रदेश में सबके लिए स्वास्थ्य योजना बना कर प्रदेश के दूरस्थ एवं असेवित क्षेत्रों को भी स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने हेतु तुरन्त कदम उठाये जायें।”

14. नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें, यदि कोई हों।
15. उत्तरांचल में विकलांगों, विधवाओं एवं वृद्धों जिन्हें पेंशन स्वीकृत हो रखी है, को पेंशन की धनराशि का भुगतान करने के संबंध में श्री मातबर सिंह कण्डारी द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2002 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माननीय समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य।
16. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत एक बल्ब के निःशुल्क उपयोग करने के संबंध में श्री हरभजन सिंह चीमा द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2002 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, मुख्यमंत्री का वक्तव्य।
17. प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाने विषयक दिनांक 20 मार्च, 2002 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या-1 (नत्थी-क) के संबंध में श्री मातबर सिंह कण्डारी, स0वि0स0 द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा।
18. राष्ट्रगान (जन-गण-मन)।
(देखिए नत्थी-ड.)

देहरादून।
दिनांक : 22 मार्च, 2002

आज्ञा से,

(महेश चन्द्र)
सचिव।



उत्तरांचल विधान सभा

प्रथम सत्र, 2002
का प्रथम शुक्रवार

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

शुक्रवार चैत्र 1, शक संवत्, 1923

(दिनांक : 22 मार्च, 2002)

नत्थी (क)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली
1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

—: तारांकित प्रश्न :—

- *1. क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में नगर पंचायतों के चुनाव कब तक पूर्ण करा दिये जायें ?

नगर
विकास

श्री मातबर सिंह कंडारी
15-03-2002



उत्तरांचल विधान सभा

प्रथम सत्र, 2002
का प्रथम शुक्रवार

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

शुक्रवार चैत्र 1, शक संवत्, 1923

(दिनांक : 22 मार्च, 2002)

नत्थी (ख)

—: तारांकित प्रश्न :-

श्री मातबर सिंह कण्डारी (01-03-2002)	* 1. क्या श्रम मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के लिए सरकार क्या योजनाएँ बनाने जा रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?	श्रम
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत (11-03-2002)	* 2. क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि उत्तरांचल के डिप्लोमा फार्मासिस्ट अपनी मांगों के संबंध में विगत लम्बे समय से आन्दोलित हैं ? यदि हाँ, तो उनकी मांगें क्या हैं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?	स्वास्थ्य
श्री गोपाल सिंह (14-03-2002)	* 3. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सरकार द्वारा गेहूँ खरीदने के लिये क्या नीति अपनाई जा रही है ? क्या किसानों द्वारा उत्पादित समस्त गेहूँ खरीदने की स्थिति में सरकार है ? यदि हाँ, तो इसके लिये क्या व्यवस्था की गयी है ?	द्वितीय बुधवार के तारांकित 2 में स्थापित

डा.अनुभूया प्रसाद मैखुरी
15-03-2002

- * 4. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जड़ी-बूटी शोध संस्थान, मण्डल (गोपेश्वर) जिला चमोली में अपने पूर्ण स्वरूप के साथ कार्य कर रहा है ? यदि हाँ, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान

—: अतारांकित प्रश्न :—

श्री मातबर सिंह कण्डारी
08-03-2002

1. क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि रा. आयुर्वेदिक अस्पताल बरसूड़ी बछणस्यूँ, तथा रा. एलोपैथिक अस्पताल, जैन्टा बछणस्यूँ, जनपद रुद्रप्रयाग के भवन निर्माण हेतु क्षेत्रीय जनता ने भूमि की रजिस्ट्री स्वास्थ्य विभाग के नाम कर दी है ? यदि हाँ तो उक्त अस्पतालों के भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गये हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

स्वास्थ्य

श्री मातबर सिंह कण्डारी
08-03-2002

2. क्या नगर विकास मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि रुद्रप्रयाग में बस अड्डे के निर्माण हेतु पर्यटन विभाग द्वारा धनराशि आवंटित की गई थी ? क्या बस अड्डे निर्माण कार्य जल निगम श्रीनगर गढ़वाल द्वारा किया जाना था ? क्या यह भी सत्य है कि निर्माण कार्य में दस लाख रुपये खर्च हुए हैं ? क्या कारण है कि इस अड्डे का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है ? क्या सरकार उक्त बस अड्डे का निर्माण शीघ्र करवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

पर्यटन

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत
11-03-2002

3. क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में रई तथा थरकोट नामक स्थानों पर कृत्रिम झील का निर्माण प्रस्तावित है ? यदि हाँ, तो वर्ष 2001-2002 में कितनी धनराशि उक्त निर्माण हेतु अवमुक्त की गई है तथा कार्य की प्रगति क्या है ?

पर्यटन

श्री मातबर सिंह कण्डारी
13-03-2002

4. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रुद्रप्रयाग में बस अड्डे का निर्माण किस निर्माण एजेन्सी द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है तथा इसके निर्माण में कितनी धनराशि खर्च होगी ? इस बस अड्डे का निर्माण क्यों रुका पड़ा है ? क्या सरकार इस बस अड्डे का निर्माण शीघ्र करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

पर्यटन

श्री निजामुद्दीन
14-03-2002

5. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पिछले पाँच वर्षों में वर्षवार मण्डी समिति मंगलौर, जनपद हरिद्वार को कितनी आय हुई ? उत्तरांचल राज्य बनने के बाद मण्डी समिति द्वारा अर्जित आय कहाँ-कहाँ खर्च की गई ? क्या सरकार इस आय-व्ययक का व्योरेवार विवरण प्रस्तुत करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

कृषि



नत्थी (ग)

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 21 मार्च, 2002 की बैठक में दिनांक 22 मार्च, 2002 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैं :-

मार्च, 2002
22, शुक्रवार

- (1) विधायी कार्य।
देव संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण।
(15 मिनट)
- (2) धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान।

(4 : 00 बजे से)

- (3) असरकारी संकल्पों का प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा।
 1. श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री प्रकाश पंत, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री सुरेश चन्द, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत- "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायको को विधायक निधि के रूप में मिलने वाली विवेकाधीन विकास निधि को 75 लाख से बढ़ा कर 1 करोड़ कर दिया जाय।"
 2. श्री मदन कौशिक- "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि हरिद्वार में अर्ध कुम्भ, 2004 में अस्थाई निर्माण के स्थान पर स्थायी कार्य कराये जायें।"
 3. श्री मातबर सिंह कण्डारी- "इस सदन का सुविचारित मत है कि उत्तरांचल राज्य के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के लिये उद्योगों का जाल बिछाये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायें।"

4. श्री प्रकाश पंत— "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में पंचायतों, नगर पालिकाओं तथा महानगर क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिये संविधान के अनुच्छेद 40 तथा संविधान के 73वें व 74वें संशोधन के अनुरूप अनुच्छेद 243 (क) से 243 य च के प्रावधानों के अनुसार विधि इसी सत्र में बना ली जाय।"
5. श्री काशी सिंह ऐरी, श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, श्री नारायण सिंह जंतवाल, श्री प्रीतम सिंह पंवार— "यह सदन संकल्प व्यक्त करता है कि सबके लिए शिक्षा योजना की भाँति प्रदेश में सबके लिए स्वास्थ्य योजना बना कर प्रदेश के दूरस्थ एवं असेवित क्षेत्रों को भी स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने हेतु तुरन्त कदम उठाये जाय।"



उत्तरांचल विधान सभा

नत्थी (घ)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन

क.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

1. श्री भगत सिंह कोश्यारी,
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत,
श्री गोविन्द लाल
श्री मदन कौशिक,
श्री बिशन सिंह चुफाल,
श्री मालचन्द्र,
श्री सुरेश चन्द्र,
श्री प्रकाश पन्त,
श्री मातबर सिंह कण्डारी,
श्रीमती विजय बडथवाल,
श्री महेन्द्र भट्ट,
श्री अनिल नौटियाल,
श्रीमती आशा नौटियाल,
श्री अरविन्द पाण्डे,
श्री हरबन्स कपूर,
श्री अजय भट्ट
(उपस्थित किया जा चुका है)

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं किया” :-

1. राज्य की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था में सुधार लाने हेतु किसी विशेष प्रभावी उपाय की घोषणा किये जाने,
2. आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु किसी प्रभावी योजना की घोषणा किये जाने,
3. राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों, विभिन्न निगमों के कर्मचारियों तथा राज्य में सेवारत सरकारी तथा गैर सरकारी कर्मचारियों का पंचम वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार केंद्र के समान वेतन दिये जाने और एल0टी0सी0 नगदीकरण इत्यादि सुविधायें प्रदत्त किये जाने,
4. राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाने हेतु पूर्व में घोषित योजनाओं के क्रियान्वयन तथा प्रभावी नीति बनाने,
5. उद्योग, पर्यटन, रोजगार, शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व में घोषित परियोजनाओं के क्रियान्वयन करने,
6. राजस्व पुलिस की सेवा शर्तों में सुधार करने तथा उन्हें अधिक सुविधा व अधिकार देकर दुरस्थ ग्रामीण अंचल में कानून व्यवस्था ठीक करने,
7. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में माननीय विधायकों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 50 कि0मी0 नवीन मोटर मार्ग निर्माण, 20 कि0मी0 डामरीकरण, 5 झूलापुल, 5 नवीन इण्टरमीडिएट, 5 नवीन हाई स्कूल, 5 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार दिये जाने,
8. राज्य में चिकित्सा व्यवस्था सुधार हेतु पृथक चिकित्सा नीति बनाये जाने,

क.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

24. हरिद्वार कोटद्वार रामनगर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने,
25. टिहरी बांध विस्थापितों के लिए पिछली सरकार द्वारा केन्द्र से प्राप्त भूमि को तुरन्त विकसित कर विस्थापितों का पुनर्वास के संबंध में।
26. उत्तर प्रदेश सरकार से गंगा मैनेजमेन्ट केन्द्र की जगह उभय पक्षी बोर्ड बनाने,
27. ड्रिलिंग द्वारा प्रत्येक जनपद में 500 हैण्डपम्प लगाने,
28. शिक्षा बन्धु, शिक्षा मित्र व विजिटिंग फैकल्टी के अध्यापकों को नियमित करने,
29. उधमसिंह नगर व हरिद्वार में नये अनाज भण्डार गृह खोलने के संबंध में,
30. चीनी मिलों को आत्म निर्भर बनाने के लिए को-जेनेरेशन योजना शुरू करने,
31. पर्यटन विकास के लिए कोटद्वार, पौड़ी, दूधातोली-पिंडर तथा रानीखेत, नैनीताल, मानीला, कौसानी, ग्वालदम, चौकड़ी-पाताल भुवनेश्वर, मुनस्यारी, पिथौरागढ़, पूर्णागिरी परिपथ विकसित करने,
32. गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन देने,
33. होम-गार्ड के वेतन में प्रतिदिन 50/- रु० की वृद्धि करने के संबंध में।

2. श्री काशी सिंह ऐरी

(उपस्थित किया जा चुका है)

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु मुझे खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं किया है” :-

1. स्थायी राजधानी का चयन एवं उसका निर्माण।
2. उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी कर्मचारी एवं शिक्षकों को अविलम्ब कार्यमुक्त कर उत्तर प्रदेश भेजे जाने तथा उनकी जगह पर शिक्षित-प्रशिक्षित बेरोजगारों को नियुक्त किये जाने।
3. प्रदेश की सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक संरचना अक्षुण्ण रखने एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए संविधान के अनुच्छेद-371 के अन्तर्गत विशेष प्राविधान किये जाने के संबंध में केन्द्र सरकार का संस्तुति।
4. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान रामपुर तिराहा (मु०नगर) कांड के दोषी अधिकारियों को दंडित किये जाने हे संबंध में।

क.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

2. जनपद रुद्रप्रयाग में इंजिनियरिंग कालेज खोलना।
3. जनपद रुद्रप्रयाग में मालटा का जूस निकालने का कारखाना लगाना।
4. जखोली में पूर्ण तहसील बनाना।
5. उत्तरांचल में मद्य निषेध लागू करना।
6. उत्तरांचल में फल पट्टी योजना को बनाना।
7. भारतीय वन संरक्षण अधिनियम को विकास कार्यों के लिए लचीला बनाना।
8. चिरबटिया में राजकीय आलू फार्म खोलना।
9. उत्तरांचल के आर्थिक विकास हेतु व्यवसायिक खेती, बेमौसमी सब्जी उत्पादन फल पट्टी योजना, मतस्य पालन योजनाओं पर बल देना।
10. बेरोजगारी को दूर करने हेतु रोजगार परक योजनाओं को चलाना।
11. महिला कल्याण कार्यक्रम पर बल देना।
12. उत्तरांचल में बन्द पड़ी योजनाओं पर पुनर्निर्माण शुरू कराना।
13. बेसिक पाठशाला से लेकर महाविद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती करना।
14. लिफ्ट सिंचाई योजना धारकोट तल्ला नागपुर का निर्माण कार्य पूर्ण कराना।
15. लिफ्ट पेयजल योजना जवाडी कांडा क्वीलाखाल भरदार, भैंसगांव, तल्लानागपुर नगलासूँ (रानीगढ़) का निर्माण कराना।
16. सतनी (सौराखाल) भरदार, बुडोली (सिलगढ़) आरस्यूँ बछरगस्यूँ ढौडिक तल्ला नागपुर में जनता को पेयजल की सुविधा देना।
17. खाकरा कान्डई खेड़ाखाल मोटर मार्ग नगरासू जसोली डांडा मोटर मार्ग, मयाली रणधार मोटर मार्ग, तिलवाड़ा सौराखाल मोटर मार्ग का डामरीकरण कराना।
18. लस्यूँ नदी में मठियाणा (सिलगढ़) अलकनन्दा नदी में पपजसूँ मन्दाकनी नदी में अगस्त्य मुनि तथा धूयेली नामक स्थानों में झूलापुल निर्माण करने।
19. तुनेटा भरदार में चीड़ की पत्तियों पर आधारित कोयला तथा गत्ता उद्योग लगाना।
20. तिलवाड़ा जल विद्युत परियोजना विकास खण्ड जखोली, रुद्रप्रयाग जो वर्षों से बन्द पड़ी है उसे चालू करने।

क.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

32. भटवाडी सैण तल्ला नागपुर में स्वीकृत उद्योग केन्द्र को विकसित करने।
 33. द्योलतीर (रानीगढ़) सिद्धसौड़ (बड़मा), चौरिया भरदार, किमाना फुटगढ़ में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोलने।
 34. सुदूर पिछड़े क्षेत्र रतूडा खेडीखाल भुनका रुद्रप्रयाग चिनगवाड़ पावौं सेरा वाँसी, जवाडी भरदार मोटर मार्गों का निर्माण करना।
4. श्री बिशन सिंह चुफाल
(उपस्थित किया जा चुका है)
- प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-
“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं किया है” :-
1. पिथौरागढ़ में बेरीनाग पुरानाथल तथा डीडीहाट आदिचौरा तथा नाचनी बांसवाड़ा मोटर मार्ग डामरीकरण के सम्बन्ध में।
 2. पिथौरागढ़ में भुजगढ़ नदी में सिरमाली के पास तथा नामिक नदी में झूला पुल के सम्बन्ध में।
 3. पिथौरागढ़ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुरानाथल तथा जूनियर हाईस्कूल होकरा के उच्चीकरण के सम्बन्ध में।
 4. पिथौरागढ़ थल में महाविद्यालय खोलने,
 5. पिथौरागढ़ में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भट्टी गांव तथा राजकीय कन्या इण्टर कालेज डीडीहाट के भवन के संबंध में।
 6. पिथौरागढ़ में पर्यटक स्थल सिराकोट के सौन्दर्यकरण के संबंध में।
 7. पिथौरागढ़ में उडियारी तथा चौसला-लेक पेयजल के संबंध में।
 8. सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में सामुदायिक पॉलीटेक्नीक के संबंध में।
 9. पिथौरागढ़ में हवाई पट्टी के विस्तार के संबंध में।
 10. पिथौरागढ़ में पुराना थलतडी गांव मोटर मार्ग में राम गंगा नदी में मोटर पुल के संबंध में।
 11. पिथौरागढ़ डीडीहाट में मिनी स्टेडियम के संबंध में
 12. पिथौरागढ़ में सगौड़ से बौगाड़ तक सड़क निर्माण के संबंध में।

क.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

5. श्री हरभजन सिंह चीमा
(उपस्थित किया जा चुका है)

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं किया” :-

1. उत्तरांचल में निकट भविष्य में होने वाले ग्राम सभाओं व निकायों के चुनाव से पूर्व ग्राम सभाओं व निकायों का पुनर्गठन कराये जाने।
2. पिछले 30-35 वर्षों से अधिक समय से किसानों की जोत में चली आ रही वर्ग-4 की भूमिका नियमितिकरण किये जाने,
3. विधान सभा क्षेत्र जसपुर व काशीपुर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गए जलाशयों (डामों) से उठाये गए किसानों को बदले में दी गई अराजी के संबंधित किसानों के नाम बनाये गए पट्टों को तहसील रिकार्ड में अंकित कराये जाने के,
4. पिछले 40 वर्षों से मैदानी क्षेत्रों के गांवों में चल रहे प्राइमरी स्कूलों का उच्चीकरण कर कम से कम जू0 हा0 स्कूल का दर्जा दिये जाने,
5. विधान सभा क्षेत्र जसपुर काशीपुर की सरकारी क्षेत्र की लम्बे समय से बन्द पड़ी सूत मिलों को चलाये जाने के संबंध में।

6. श्री अजय भट्ट
(उपस्थित किया जा चुका है)

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं किया” :-

1. पिथौरागढ़ में पुराना थल-तड़ीगांव मोटर मार्ग में रामगंगा नदी में मोटर पुल के संबंध में।
2. पिथौरागढ़, डीडिहाट में मिनी स्टेडियम के निर्माण,
3. पिथौरागढ़ में सगौड़ से बौगाड़ तक सड़क निर्माण,
4. पिथौरागढ़ में पर्यटन आकर्षण केन्द्र के रूप में मेंरई व थरकोट में कृत्रिम झील के निर्माण,
5. पिथौरागढ़ में पूर्व प्रस्तावित बहुउद्देशीय पार्क (अप्पूघर) के निर्माण किये जाने,
6. पिथौरागढ़ मुख्यालय में खेल विद्यालय की स्थापना किये जाने,
7. गंगोलीहाट (पिथौरागढ़) में धार्मिक महत्व के पौराणिक मंदिरों व विभिन्न प्राकृतिक गुफाओं को देखते हुए सम्पूर्ण क्षेत्र को धार्मिक क्षेत्र घोषित किये जाने,

क.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

6. पूर्व माध्यमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में लिये जाने,
7. प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने हेतु किसी योजना का उल्लेख नहीं किये जाने,
8. हरिद्वार नगर में शराबबन्दी प्रभावी रूप से लागू हो इसके संबंध में कार्य योजना बनाने,
9. हरिद्वार विधान सभा में कन्या डिग्री कालेज खोलने,
10. प्रदेश में हिन्दी विषय की डिग्री स्तर तक के लिए शिक्षा मुफ्त दिये जाने,
11. हरिद्वार में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना,
12. हरिद्वार में 2004 में लगने वाले कुम्भ के बारे में स्थाई निर्माण की योजना,
13. हरिद्वार में गंगा की पूर्णतः प्रदूषण मुक्त करने,
14. हरिद्वार में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना,
15. हरिद्वार में श्रमायुक्त कार्यालय की स्थापना,
16. हरिद्वार में हवाई पट्टी का विस्तार कर विमान सेवा प्रारम्भ किये जाने,
17. हरिद्वार में विशेष पौराणिक महत्व वाले क्षेत्र—सतीकुन्ज, सतीघाट, मायादेवी मंदिर दक्ष प्रजापति मंदिर, बिल्केश्वर मंदिर आदि को विकसित किये जाने,
18. हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर, चण्डी देवी मंदिर पैदल मार्ग पर टीन-शैड की व्यवस्था करने,
19. कनखल शमशान घाट पर विद्युत शव गृह के निर्माण,
20. हरिद्वार के जिला चिकित्सालय की खस्ता हालत सुधारने,
21. बरसात के मौसम में हरिद्वार के समस्त बाजार एवं अधिकांश मौहल्लों में पानी की निकासी,
22. हरिद्वार में अंतर्राज्यीय बस स्टेशन की स्थापना,
23. हरिद्वार नगर में सिटी बस की व्यवस्था करने,
24. हरिद्वार नगरी में धर्मशालाओं को गृहकर, जलकर से पूर्णतः मुक्त किये जान,
25. हरिद्वार में हर की पेड़ी क्षेत्र को भिखारियों से पूर्णतः मुक्त करने,
26. हरिद्वार में मेडिकल कालेज खोलने,
27. हरिद्वार को एक औद्योगिक जिला घोषित किये जाने,
28. राज्य में गौ रक्षा आयोग के गठन।

क.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

9. जनपद चमोली के धार्मिक एवं दार्शनिक स्थल रूप कुण्ड, वैराज कुण्ड कार्तिक स्वामी में यात्रा हेतु सुगम मार्ग निर्माण,
10. श्री मालचन्द्र (उपस्थित किया जा चुका है) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-
"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न को सम्मिलित नहीं किया" :-
1. सीमान्त जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मौरी के गंगाड क्षेत्र/पुरौला के सुनाली डेरीका के बाढ़ में खेतों का कटाव रोकने के लिए सुरक्षा दीवाल, पुल एवं सड़कों, नगदी फसलों का मुआवजा हेतु ठोस नीति बनाने,
 2. नगदी फसलों का काश्तकारों को उचित मूल्य दिलाने व नजदीकी मण्डी सुविधा के संबंध में।
 3. हिमाचल की तर्ज पर काश्तकारों को नगदी फसल के लिए शासन द्वारा उचित मूल्य देने हेतु समिति का गठन।
 4. पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या तथा शिष्यों के मानक में छूट देने हेतु स्कूलों का चयन,
 5. वन्य जीव गोविन्द पशु विहार हेतु क्षेत्र के समस्त विकास कार्यों में रुकावट हटाने के लिये कोई ठोस नीति बनाने,
 6. जूनियर हाईस्कूल/हाईस्कूल/कन्या जूनियर हाईस्कूलों के उच्चीकरण हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में निर्धारित मानक की छूट,
11. श्री अनिल नौटियाल (उपस्थित किया जा चुका है) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-
"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है" :-
1. वर्तमान में कार्यरत समस्त शिक्षा बन्धुओं को उनके कार्यरत पदों पर ही नियमित किये जाने,
 2. जनपद चमोली के गैरसैण में डिग्रीकालेज में पद सृजन एवं भवन निर्माण,
 3. कर्णप्रयाग डिग्री कालेज हेतु भवनों की व्यवस्था एवं विज्ञान संकाय खोलने,
 4. गोचर में डाइट (राज्य शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान) भवन निर्माण,
 5. कर्णप्रयाग विधान सभा के दूरस्थ क्षेत्रों में सड़कों एवं पुलों के निर्माण,
 6. गढ़वाल विश्वविद्यालय में बी0एड0 प्रवेश परीक्षा शुल्क को कम करने,
 7. गौचर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना,

क.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

14. श्रीमती विजय बड़थवाल
(उपस्थित किया जा चुका है)

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है” :-

- 1— महिलाओं के आर्थिक विकास के लिये ठोस योजनायें बनाने के लिये महिला उत्थान एवं कल्याण निगम के गठन,
- 2— यमकेश्वर विधान सभाक्षेत्र को मुख्य दो सड़कों के लक्ष्मणझूला से विथाणी एवं चैलेसैण से घट्टूगाढ तक डामरीकरण,
- 3— उत्तरांचल की आबकारी नीति में महिलाओं की सहमति एवं विचार लेने,
- 4— जनपद पौड़ी में रा0इ0का0 एवं माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों को भरने,
- 5— जनपद पौड़ी में कृषि योग्य भूकम के लिये सिंचाई के साधनों के विस्तारीकरण,
- 6— यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र के महाबगढ़, भैरवगढ़ी, नीलकंठ यमकेश्वर को तीर्थाटन, पर्यटन के लिये विकसित करने,
- 7— यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र में बालिका व्यवसायिक शिक्षा विद्यालय एवं बालिका हाईस्कूल एवं इण्टर कालेज खोलने,
- 8— नये राज्य उत्तरांचल में नई शिक्षा नीति निर्धारित करने,
- 9— यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कण्व आश्रम पोखरी पौखाल मोटर मार्ग निर्माण,
- 10— यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास क्षेत्र द्वारीखाल के सिलोगी, कटूडबड़ा पम्पिंग योजना से पेयजल उपलब्ध कराने,

15. श्री चन्द्रशेखर
(उपस्थित किया जा चुका है)

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया”:-

1. बिहारी गढ़ से सड़कों एवं पुलियां रोशनाबाद तक पहुँचाने,
2. डान्डा रांघडवाला में प्राइमरी स्कूल को बनवाने,
3. डान्डा जलालपुर में बिजली घर बनाने,
4. भूमि संरक्षण द्वारा भूमि को एकसार कराने,
5. ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर कक्षा 8वीं तक के स्कूल भी नहीं हैं वहाँ पर स्कूल बनवाने,
6. हरिपुर ग्राम व उसके आस-पास के गाँवों में बिजली की व्यवस्था करने,
7. पंजाब एवं हरियाणा की तरह ही भट्टा उद्योग पर उत्तरांचल में भी सेल्स कम किये जाने,
8. स्कूलों की समस्यायें
(1) 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को कक्षा 10वीं तक किये जाने।

क.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

1. श्री निजामुद्दीन
(उपस्थित किया जा चुका है)

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है।”

1. दिन प्रतिदिन बढ़ती आबादी की रोक थाम।
2. उर्दू एकेडमी की स्थापना।
3. जिन जिलों में उर्दू बोलने वाली की अच्छी संख्या है वहां उर्दू भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा देना।
4. दिन प्रतिदिन बढ़ते भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकना।

5. टोंगिया किसानों की वन भूमि पर आबादकारी।

6. पोलीथीन पर पूरी तरह पाबन्दी लगाना।

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है।”

1. विश्व प्रसिद्ध सतलिंग ग्लेशियर, सहस्त्रताल क्यार्की बगियाण-पंवाली कोठा-कुश कल्याण-महासत्रताल, माणिकनाथ, विश्वनाथ, जम दी शिला, हटकुणी व भजियाड़ ताल के पर्यटन विकास,

2. हुलाना खाल, चमियाला में और भौखाल में अलग विकास खण्ड खोलना,

3. भौखाल में डिग्री कालेज खोलना,

4. धमातोड़ी-अखोड़ी अपर केभर, मिलंग में फल पट्टी योजना लागू कर बनाना,

5. अपर केभर, बूढाकेदार, धमातोली, पाख ग्राम में ऐलोपैथिक हस्पताल बनाना,

6. उत्तरांचल में उत्तरांचल राज्य निर्माण निगम का गठन करना,

7. लिफ्ट सिंचाई योजना (देवढ) पश्चिमी मिलंग, पियोला, बणचूरी में स्थापित करना,

8. घनसाली, कोटी-अखोड़ी-धमातोली-पंवली मो0 मार्ग, घुनसाली घुतु मोटर मार्ग, घनसाली-बिनकखाल, मूलगढ-थार्ती ठेला जण्डसेखाल मो0 मार्ग लाटा-नागेश्वर-सौड़ मो0 मार्गों का डामरीकरण करना,

9. पदोखा-बालगंगा नदी पर दोणी मिलंगना नदी पर कोटी अंगुड़ा, चन्दियाल बाल गंगा पर बौर-सेन्दुल मिलंगना पर झूला पुलों का निर्माण करवाया जाय,

10. कोटी-धर्मगंगा पर बनोली गोनेढ कोट बालगंगा पर लघु जल विद्युत परियोजना, श्री कोट चनियाला लघु जल विद्युत योजना,

क.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

8. किसानों की समस्या का निराकरण करने की योजना,
9. व्यापारी और उद्योगपति का पलायन रोकने व उनकी सुरक्षा,
10. महंगाई पर अंकुश,
11. कर्मचारी वर्ग की मूलभूत सुविधायें,
12. एल.टी.सी. जीवन पर्यन्त सर्विस में तीन दूर एवं प्रत्येक वर्ष में एक माह की तनखाह का नकदीकरण।

4. श्री हरबन्स कपूर
(उपस्थित किया जा चुका है)

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में निम्न उल्लेख नहीं किया गया है।”

1. कि, नगर निगम, नगर पालिकाएं एवं नगर पंचायतों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की संख्या क्षेत्र के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या पर निर्धारित की जाय।
2. कि उत्तरांचल की अस्थायी राजधानी देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेलकूद का स्टेडियम बनाया जाय।
3. कि गोरखा जाति नवयुवकों को सेना एवं पुलिस में भर्ती में कद के मानकों में शिथिलता बरती जायेगी।
4. कि उत्तरांचल की अस्थायी राजधानी देहरादून में बढ़ती यातायात से उत्पन्न गम्भीर समस्या के निदान के लिए मास्टर प्लान बनाया जायेगा और आवश्यकता के अनुसार नये मार्गों तथा फ्लाई ओवर का निर्माण किया जाय।
5. कि अस्थायी राजधानी बनने के पश्चात् देहरादून में स्थाई एवं फ्लोटिंग जनसंख्या के कारण उत्पन्न पेयजल संकट के समाधान हेतु पेयजल से सम्बन्धित महायोजना का निर्माण किया जाय एवं आवश्यक पर्याप्त पेयजल आपूर्ति हो सके इसकी व्यवस्था युद्ध स्तर पर की जाय।
6. कि देहरादून की कूड़ा करकट के निस्तारण की गम्भीर समस्या को देखते हुए इसके निस्तारण की स्थाई व्यवस्था की जाय।



उत्तरांचल विधान सभा

नत्थी (ड.)

राष्ट्र-गान

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे ।

भारत-भाग्य-विधाता ।।

पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा

द्राविड़-उत्कल-बंग ।

विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,

उच्छल-जलधि-तरंग ।।

तव शुभ नामे जागे,

तव शुभ आशिष मांगे ।।

गाहे तव जय गाथा ।।

जन-गण-मंगलदायक जय हे,

भारत-भाग्य-विधाता ।।

जय हे, जय हे, जय हे,

जय जय जय, जय हे ।।